

110

62

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 11th August, 1992]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**POWER DEPARTMENT**

**Notification**

The 30th July, 1992

No. 26/1/92-3MIP.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of super session of Haryana Government, Power Department, Notification No. 26/1/85-3MIP, dated the 30th April, 1985, the Governor of Haryana, hereby specifies the slabs of electricity duty mentioned in Schedule and further specifies the rates for such slabs as mentioned against each in column 4 thereof :—

**SCHEDULE**

Serial Number	Category of consumers	Slabs (Energy Supplied in a month)	Rates of Electricity Duty, per unit (in paisa)
1	2	3	4
1	Domestic Consumers	(1) Upto first 40 units	9
		(2) Above 40 units and upto 100 units	10
		(3) Above 100 units and up to 200 units	13
		(4) Above 200 units	15
2	Commercial Consumers	(1) Up to first 30 units	16
		(2) Above 30 units and up to 80 units	19
		(3) Above 80 units	21
3	Industrial Consumers		
		(1) L. T. Industrial Supply	16
		(2) H. T. Industrial Supply	20
		(1) For loads up to 70 kw.	16
		(2) For loads above 70 kw.	20

The revised rates shall be applicable on the energy consumed with immediate effect.

J. K. DUGGAL,

Financial Commissioner and Secretary  
to Government, Haryana, Irrigation and  
Power Department.

हरियाणा सरकार

विजली विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जूलाई, 1992

क्रमांक 26/1/92-3 एम० आई० पी०.—पंजाब विजली (शुल्क) अधिनियम, 1958 की धारा 3 को उप धारा

(1) द्वारा प्रदान की गई तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा

हरियाणा सरकार, सिंचाई एवं विजली विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 26/1/85-3 एम० आई० पी०, दिनांक 30 अप्रैल, 1985 के अतिक्रम में, हरियाणा के राज्यपाल उनके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 के दर्शायी गई उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए अनुसूची के खाना 3 के विनिर्दिष्ट विजली शुल्क के बाण्ड (स्लैव) विनिर्दिष्ट करते हैं और इस के अतिरिक्त इसके खाना 4 में प्रत्येक के सामने यथा वर्णित के अनुसार प्रत्येक खाण्डों के लिए दरें भी विनिर्दिष्ट करते हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	उपभोक्ता श्रेणी	खाण्ड (एक मास में सप्लाई की गई ऊर्जा)	प्रति यूनिट विजली शुल्क की दरें (पैसों में)
1	2	3	4
1	वरेलू उपभोक्ता	(1) पहले 40 यूनिटों तक (2) 40 यूनिटों से अधिक तथा 100 यूनिटों तक (3) 100 यूनिटों से अधिक तथा 200 यूनिटों तक (4) 200 यूनिटों से अधिक	9 10 13 15
2	वाणिज्यिक उपभोक्ता	(1) पहले 30 यूनिट तक (2) 30 यूनिट से अधिक तथा 80 यूनिट तक (3) 80 यूनिटों से अधिक	16 19 21
3	श्रीदोगिक उपभोक्ता — (i) निम्न विभव श्रीदोगिक सप्लाई (ii) उच्च विभव श्रीदोगिक सप्लाई	(70 किलो वाट तक) (70 किलो वाट से अधिक)	16 20

खपत हुई ऊर्जा पर संशोधित दरें तुरन्त प्रभाव से लागू होंगी।

जौ० कौ० वृग्गल,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
सिंचाई एवं विजली विभाग।